रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 19, 2014/माघ 30, 1935
No. 73] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 19, 2014/MAGHA 30, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2014

सा.का.नि. 99(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 की धारा 110 की अपेक्षानुसार केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 575(अ) तारीख 27 अगस्त, 2013 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, प्रारूप नियम प्रकाशित किए गए थे, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को 27 अगस्त, 2013 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (प्रथम संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) सिवाय इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के ये नियम 1 अक्तूबर, 2014 से प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 में खंड (म) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(य) "चौपहिया साइकिल" से चार पहियों वाला यान अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं, अर्थात्:—

(i) दरवाजों सहित पूर्णतया प्रतिवेष्टित बाडी ढांचा और जिसमें स्टीयरिंग व्हील के माध्यम से स्टीयरिंग नियंत्रण है जिसमें दरवाजों के उपरी किनारे नजदीक की सीट की उपरी सतह से कम से कम 200 एमएम पर हैं;

(ii) जिसके किनारे और छत्त नम्य सामग्री जैसे रेक्सिन, कपड़ा, प्लास्टिक आदि से नहीं बनी हुई है;

(iii) माल यान, स्थोरा बाडी का आंतरिक क्षेत्र यान की चौड़ाई को उसकी लंबाई से गुणा करने के पश्चात् तीस प्रतिशत से अन्यून है;

(iv) यात्री यानों की दशा में अधिकतम अनुज्ञेय कर्ब भार 450 ग्राम और माल यानों की दशा में 550 किलोग्राम है;

(v) यात्री यान की दशा में अधिकतम बैठने की क्षमता चार (चालक सहित) और माल यानों की दशा में दो यात्री (चालक सहित), जिसमें चालक और सह यात्री के लिए दोनों यात्री यान और माल यान की दशा में पहली पंक्ति में स्वतंत्र सीटों का उपबंध किया गया है;

(vi) माल यानों की दशा में अधिकतम अनुज्ञेय निहित भार 550 किलोग्राम है;

(vii) प्रधान मूवर की दशा में अधिकतम अनुज्ञेय नोदन शक्ति 15 किलोवाट पर 15 किलोवाट होगी जब समय समय पर संशोधित संपीड़ित इग्नीशन इंजनों और बैटरी द्वारा प्रचालित इंजनों के लिए स्पार्क इग्नीशन इंजन के लिए आईएस 14599-1999 के अनुसार एमओएसआरटीएच/टीएपी 115-116 के भाग चार के अध्याय 1 के अनुसार परीक्षण किया जाए;

(viii) अधिकतम डिजाइन गति 70 किलोमीटर प्रतिघंटा; और

(ix) जिनमें ट्रेलर नहीं है या किसी अर्द्ध ट्रेलर की कॉपलिंग के लिए कोई उपबंध नहीं है" ।

स्पष्टीकरण :—खंड (iv) के प्रयोजनों के लिए कर्ब भार में वैद्युत/संकर यानों की दशा में बैटरियों के द्रव्यमान का भार शामिल नहीं है ।

3. मूल नियमों के नियम 50 के उप-नियम (1) के खंड (vi) में "दुपहिया और तिपहिया" शब्दों के स्थान पर "दुपहिया, तिपहिया और चौपहिया के लिए" शब्द रखे जाएंगे ।

4. मूल नियमों के नियम 93 में,—

(क) उप-नियम (1) में अंत में और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह कि किसी चौपहिया साइकिल की समग्र चौड़ाई 1.5 मीटर से अनधिक होगी ।";

(ख) उप-नियम (2) में खंड (vii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

IndiaCode

"(viii) चौपहिया साइकिल की दशा में यात्री यान के लिए तीन मीटर और माल यान के लिए 3.7 मीटर";

(ग) उप-नियम (4) में खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(iv) चौपहिया साइकिलों की दशा में 2.5 मीटर से अनधिक होगा"

5. मूल नियमों के नियम 94 के उप-नियम (3) के खंड (iv) में "दुपहिया " और "तिपहिया" शब्दों के स्थान पर "दुपहिया, तिपहिया और चौपहिया साइकिल" शब्द रखे जाएंगे।

6. मूल नियमों के नियम 95 के उप-नियम (1) के पहले परंतुक में "दुपहिया और "तिपहिया की दशा में" शब्दों के स्थान पर "दुपहिया, तिपहिया और चौपहिया साइकिल की दशा में" शब्द रखे जाएंगे।

7. मूल नियमों के नियम 96 के उप-नियम (4) के खंड (ii) में, "मोटर यानों" शब्दों के स्थान पर, "मोटर यानों जिसके अंन्तर्गत चौपहिया साइकिलें भी हैं" शब्द रखे जाएंगे।

8. मूल नियमों के नियम 98 में उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3क) 1 अक्तूबर, 2014 से ही चौपहिया के स्टीयरिंग प्रयास समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक आई एस 11948-1999 के अनुरूप होंगे" ।

9. मूल नियमों के नियम 101 के उप-नियम (2) के खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) चौपहिया साइकिलों की दशा में 1 अक्तूबर, 2014 से ही एआईएस 045/2004" ।

10. मूल नियमों के नियम 115 में,—

(i) उप-नियम (2) में पैरा (i) में, सारणी में "दुपहिया और तिपहिया" पद जहां-जहां वे आते हैं "दुपहिया, तिपहिया और चौपहिया साइकिल" पद रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम 14 के पैरा (च) में,—

(क) उप पैरा (i) में "1 अक्तूबर, 2010" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1 अप्रैल, 2010 और 1 अक्तूबर, 2014 से ही विनिर्मित चौपहिया साइकिलें";

(ख) उप पैरा (ii) में "1 अक्तूबर, 2010" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1 अक्तूबर, 2010 और 1 अक्तूबर, 2014 से ही विनिर्मित चौपहिया साइकिलें";

(ग) उप पैरा (iii) में,—

(अ) प्रारंभिक भाग में "दो पहिया और तिपहिया यान" शब्दों के स्थान पर "दो पहिया, तिपहिया और चौपहिया साइकिलें" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) सारणी में "तिपहिया" शब्द दोनों स्थानों पर जहां वह आता है, "तिपहिया और चौपहिया साइकिलें" शब्द रखे जाएंगे;

11. मूल नियमों के नियम 117 के उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

IndiaCode

"(4) 1 अक्तूबर, 2014 से ही विनिर्मित प्रत्येक चौपहिया साइकिल को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट भारतीय मानक: 11827-1995 की अपेक्षाओं के अनुरूप गतिमापी से सुसज्जित किया जाएगा" ।

12. मूल नियमों के नियम 118 के उप-नियम (1) के परंतुक में उप-खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ii) तिपहिया और चौपहिया साइकिलें"

13. मूल नियमों के नियम 119 के उप-नियम (1) में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि 1 अक्तूबर, 2014 से ही इस नियम के अधीन अपेक्षाएं प्रत्येक चौपहिया साइकिल को लागू होंगी" ।

14. मूल नियमों के नियम 120 के उप-नियम (2) के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि चौपहिया साइकिलों की दशा में अनुज्ञेय ध्वनि सीमा गति के अधीन यानों के लिए 76dB(A) होगी ।" ।

15. मूल नियमों के नियम 121 के उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(4) चौपहिया साइकिल की बाडी पर मुख्य रूप से स्पष्ट अक्षरों में "क्यू" लेबल एरियल फोंट में काले अक्षरों में लगा होगा या किसी विपरीत रंग में यान के आगे और पीछे लगा होगा और उक्त लेबल समुचित बीमाओं में होगा जिससे कुल प्रदर्शन क्षेत्र 225 वर्ग सेंटीमीटर से अन्यून होगा ।" ।

16. मूल नियमों के नियम 122 के उप-नियम (1) में,- (क) परंतुक में, "एन प्रवर्ग के यान" अक्षर और शब्द के स्थान पर "एन प्रवर्ग के यान मालवाहक चौपहिया साइकिल" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) पहले पंरतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि 1 अक्तूबर, 2014 से ही इस नियम के अधीन अपेक्षाएं प्रत्येक चौपहिया साइकिल को लागू होंगी" ।

17. मूल नियमों के नियम 125 में,—

(क) उप-नियम (1) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि 1 अक्तूबर, 2014 से ही इस नियम के अधीन अपेक्षाएं प्रत्येक चौपहिया साइकिल को लागू होंगी" । परंतु यह और कि चौपहिया साइकिल के लिए सुरक्षा बैल्ट असेम्बली और सेफ्टी बैल्ट एंकरेज क्रमशः आईएस 15140: 2003 और आईएस 15139: 2002 के अनुरूप होंगे";

(ख) उप-नियम (2) में पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि 1 अक्तूबर, 2014 से ही इस नियम के अधीन अपेक्षाएं प्रत्येक चौपहिया साइकिल को लागू होंगी" ।

(ग) उप-नियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

IndiaCode

"(7) 1 अक्तूबर, 2014 से ही चौपहिया सइकिलों के लिए सीटें उनके एंकरेज और शीर्ष विश्राम समय समय पर यथा संशोधित एआईएस 023 : 2005 के अनुसार होंगे, जब तक कि तत्स्थानी वीआईएस विशिष्टियों को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन अधिसूचित नहीं कर दिया जाता है ।" ।

[फा. सं. आरटी-11028/09/2013-एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणः—मूल नियम सा.का.नि. सं. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 664(अ), तारीख 27 सितंबर, 2013 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2014

G.S.R. 99(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 575(E) dated 27th August, 2013, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 27th August, 2013;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (1st Amendment) Rules, 2014.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the 1st October 2014.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2, after clause (y), the following clause shall be inserted, namely:—

'(z) "quadricycle" means a four wheeled vehicle and having the following features, namely:—

(i) fully enclosed body structure with doors and having steering control through steering wheel with the top edge of the doors having at least 200 mm from adjacent seat base top surface;

(ii) with sides and top not made of flexible material such as rexin, cloth, plastic etc.;

(iii) for goods vehicle, cargo body internal area not less than 30% of the vehicle's width multiplied by its length;

(iv) maximum permissible kerb weight of 450 kg in case of passenger vehicle and 550 kg in case of goods vehicle;

(v) maximum seating capacity of four (including driver) in case of passenger vehicle and two (including driver) in case of goods vehicle with independent seats provided for the driver and co-passenger in the front row in the case of both passenger vehicle and goods vehicle;

(vi) maximum permissible pay load of 550 kg. in case of goods vehicles;

(vii) maximum permissible propulsion power of 15 kW of the prime mover be 15 kW, when tested as per Chapter 1 of Part IV of MoSRTH/ TAP 115-116 as amended from time to time for Compression Ignition engines and battery operated vehicles and as per IS 14599-1999 for Spark Ignition engines;

(viii) maximum design speed of 70 km per hour; and

(ix) not having trailers or any provision of coupling a semi-trailer.

Explanation:—For the purpose of clause (iv), kerb weight does not include mass of batteries in the case of electric/ hybrid vehicles'.

3. In rule 50 of the principal rules, in sub-rule (1), in clause (vi) for the words "For two and three wheelers" the words "For two wheelers, three wheelers and quadricycles" shall be substituted.

4. In rule 93 of the principal rules,—

(a) in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted at the end and before the Explanation, namely:—

"Provided that the overall width of a quadricycle shall not exceed 1.5metres.";

(b) in sub-rule (2), after clause (vii), the following clause shall be inserted, namely:—

"(viii) in the case of quadricycle, 3 metres for passenger vehicle and 3.7 meter for goods vehicle";

(c) in sub-rule (4), after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:—

"(iv) in the case of quadricycle, shall not exceed 2.5 metres".

5. In rule 94 of the principal rules, in sub-rule (3), in clause (iv), for the words "two wheeler and three wheeler", the words "two wheeler, three wheeler and quadricycle" shall be substituted.

6. In rule 95 of the principal rules, in sub-rule (1), in the first proviso, for the words "in the case of two and three wheelers" the words "in the case of two wheeler, three wheeler and quadricycle" shall be substituted.

7. In rule 96 of the principal rules, in sub-rule (4), in clause (ii), for the words "motor vehicles" the words "motor vehicles including quadricycles" shall be substituted;

8. In rule 98 of the principal rules, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(3A) On and after 1st October 2014, the steering effort of quadricycle shall conform to Indian Standard IS 11948-1999, as amended from time to time".

9. In rule 101 of the principal rules, in sub-rule (2) after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:—

"(iii) AIS 045/ 2004, in the case of quadricycles, on and after 1st October, 2014".

10. In rule 115 of the principal rules,—

(i) in sub-rule (2), in paragraph (i), in the Table, for the expression "2 & 3-wheelers" wherever they occur, the expression "Two-wheelers, three wheelers and quadricycles" shall be substituted.

(ii) in sub-rule 14, in paragraph (F), –

(a) in sub-paragraph (i), for "1st April, 2010", the following shall be substituted, namely:—

"1st April, 2010 and quadricycles manufactured on or after 1st October 2014.";

(b) in sub-paragraph (ii), for "1st October, 2010", the following shall be substituted, namely:—

"1st October, 2010 and quadricycles manufactured on or after 1st October 2014.";

(c) in sub-paragraph (iii),—

(A) in the opening portion, for the words "two and three wheeler vehicles" the words "two wheelers, three wheelers and quadricycles" shall be substituted;

(B) in the Table for "Three wheelers" at both the places where they occur, the words "Three wheelers and quadricycles" shall be substituted.

11. In rule 117 of the principal rules, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(4) Every quadricycle manufactured on and after 1st October 2014, shall be fitted with a speedometer conforming to the requirements of Indian Standard :11827-2008 specified by Bureau of Indian Standards".

12. In rule 118 of the principal rules, in sub-rule (1), in the first proviso, for sub-clause (ii), by the following sub-clause, shall be substituted, namely:—

"(ii) three wheelers and quadricycles"

13. In rule 119 of the principal rules, in sub-rule (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that on and after 1st October 2014, the requirements under this rule shall be applicable to every quadricycle".

IndiaCode

14. In rule 120 of the principal rules, in sub-rule (2), after the proviso the following proviso shall be inserted, namely: —

"Provided further that in case of quadricycles, the permissible noise limits for vehicles in motion shall be 76 dB(A).".

15. In rule 121 of the principal rules, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(4) The body of quadricycle shall prominently carry a label "Q" in capital and Arial font in black or any contrasting color in front and at the rear of vehicle and that the said label shall have suitable dimensions so that total display area is not less than 225 sq. cm.".

16. (1) In rule 122, sub-rule (1),

(a) in the proviso, for the letter and words "N category vehicle" the letter and words "N category vehicle and Goods Quadricycle" shall be substituted.

(b) after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that on and after 1st October, 2014, the requirements under this rule shall be applicable to every quadricycle".

17. In rule 125 of the principal rules,

(a) in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that on and after 1st October, 2014, the requirements under this rule shall be applicable to every quadricycle: Provided further that the requirement for safety belt assembly and safety belt anchorages for quadricycles shall conform to IS 15140: 2003 and IS 15139: 2002, respectively";

(b) in sub-rule (2), after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that on and after 1st October, 2014, the requirements under this rule shall be applicable to every quadricycle.";

(c) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(7) On and after 1st October, 2014, the seats, their anchorages and head restraints for quadricycles shall be in accordance with the specifications of vehicle Group B as specified in AIS 023: 2005 as amended from time to time till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986)." .

[F. No. RT-11028/09/2013-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were notified in the Gazette of India *vide* G.S.R. 590(E), dated 2nd June, 1989 and last amended *vide* G.S.R. 664(E) dated 27th September, 2013.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054